न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र वहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 139/22 (वाद)

GCMS NO: 2022/475

अनवान

1. श्रीमती कमलाबाई पत्नी स्व. श्री सोहनलाल बोकडिया जाति महाजन निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..........वादीगण

बनाम्

1. श्री लेहरीलाल पुत्र स्व. श्री डालु जाति जाट निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री भेरूलाल पुत्र स्व. श्री डालु जाति जाट निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्रीमती भूरीबाई पत्नी स्व. श्री डालु जाति जाट निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्रीमती गीता पत्नी स्व. श्री छोगालाल जाति जाट निवासी बडगांव तहसील मावली जिला उदयपुर राज.।
5. सुश्री सपना पुत्री स्व. श्री छोगालाल जाति जाट निवासी बडगांव तहसील मावली जिला उदयपुर राज.।
6. श्री राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित—

1. श्री मुकेश कुमार डांगी, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक 03.06.2025

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की परिशिष्ट (क) की आराजी संख्या 1471, 1472, 1473 किता 03 रकबा 0.8100 है. भूमि वादीया के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है तथा परिशिष्ट (ख) की आराजी संख्या 4321 किता 1 रकबा 0.0500 है. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 5 के पिता/ पति छोगालाल के नाम पर खातेदार हक से दर्ज है। ग्राम खेरोदा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मूल पुरूष डालुजी एवं उनके भाई जीतूजी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा संख्या 2077 क्षैत्रफल 07 बिघा 10 बिस्वा भूमि स्थित थी। उपरोक्त खसरा संख्या 2077 क्षै. 07 बिघा 10 बिस्वा भूमि का डालुजी एवं उनके भाई जीतूजी के मध्य आपसी बंटवाडा किया हुआ था [illegible] हिस्सा यानि 03 बिघा 15 बिस्वा भूमि डालुजी के हिस्से, कब्जे में तथा द[illegible] का 1/2 हिस्सा यानि 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि जीतूजी के हिस्से [illegible] थी।
2. यह कि ग्राम खेरोदा में प्रतिवादी स[illegible] 5 के [illegible] पुरूष डालुजी एवं उनके भाई जीतूजी के खातेदारी अधिकार एवं [illegible] 2077 क्षै. 15 [illegible] भूमि पारिवारिक बंटवाडे से खसरा संख्या [illegible] हिस्से, कब्जे की जो [illegible] 15 बिस्वा भूमि खसरा संख्या 2077 की 03 बिघा 15 बि[illegible] भूमि के उत्तर दिश[illegible] तरफ स्थित थी एवं इस कुलिया भूमि पर डालूजी काबिज होकर काश्त कर रहे थे। खसरा संख्या 2077 की 03 बिघा 15 बिस्वा भूमि में खसरा संख्या 2079 की 05 बिस्वा भूमि के मिले हुए होने की जानकारी वादीया को वाद प्रस्तुति के समय ही हुई है। यह कि इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:24:59 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र की कलम संख्या 3 में अंकित खसरा संख्या 2077 क्षै 07 बीघा 10 बिस्वा में से डालुजी के हिस्से, कब्जे की 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि तथा खसरा संख्या 2079 क्षै 15 बिस्वा में से डालुजी के हिस्से, कब्जे की 05 बिस्वा भूमि जो मौके पर आपस में मिली हुई होकर एक चक रूप में थी एवं जिस पर डालुजी काबिज होकर काश्त कर रहे थे, इस कुलिया भूमि के पडौस पूर्व दिशा की तरफ डालुजी के भाई जीतूजी की खसरा संख्या 2077 क्षै. 07 बिघा 10 बिस्वा भूमि में से 03 बिघा 15 बिस्वा भूमि का पश्चिम दिशा की तरफ छगन पुत्र लाला जाट की भूमि का उत्तर दिशा की तरफ आम रास्ता का, दक्षिण दिशा की तरफ डालुजी के भाई जीतूजी की भूमि का था। उपरोक्त चारों पडौसों बीच की इस भूमि के पूर्व दिशा की तरफ जो थूहर की बाड थी, वह डालुजी के भाई जीतूजी की निजी थी तथा शेष तीनों दिशा की तरफ यानि की उत्तर दक्षिण व पश्चिम दिशा की तरफ जो बाड थी वह डालुजी की निजी थी। इस भूमि के उत्तर दिशा की तरफ कच्चे पत्थरों की कोट भी खडी की हुई थी, जो भी डालुजी की निजी थी।

3. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मूल पुरूष डालुजी पिता हेमराज जी जाट द्वारा इस वाद पत्र की कलम न. 4 में वर्णित चारों पडौसों मध्य की अपने हिस्से, कब्जे एवं खातेदारी अधिकार की कुलिया भूमि को खातेदारी अधिकार सहित वृक्ष, बाड, डाली, पाली, निकास, पैसार, तमाम हक–हकूक एवं सूखाधिकार सहित वादीया को 2,60,000/– रुपये अक्षरे दो लाख साठ हजार रूपये के प्रतिफल में दिनांक 08.08.2005 को विक्रय कर कब्जा दिया गया एवं वादीया के पक्ष में विधिवत रूप से विक्रय पत्र का निष्पादन करा कर उसका पंजीयन भी उप पंजीयक कार्यालय में करा दिया एवं विक्रय पत्र पर प्रतिवादी संख्या 2 भेरूलाल एवं प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 के पिता/पति छोगालाल ने भी सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये। वादीया इस वाद पत्र की कलम न. 4 में वर्णित चारों पडौसों मध्य की कुलिया भूमि पर खरीद की दिनांक से लगातार निरन्तर निराबाध रूप से बिना किसी बाधा के आज दिन तक काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है जिसकी वादीया खरीद की दिनांक से एक मात्र खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारिणी है जिसमें वादीया के अलावा किसी अन्य का किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार, आधिपत्य, स्वत्व इत्यादि नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया को कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता डालुजी ने वादीया को इस वाद पत्र की कलम न. 4 में वर्णित चारों पडौसों मध्य की जो भूमि विक्रय की है, उसमें खसरा संख्या 2077 की 3 बिघा 15 बिस्वा भूमि के साथ–साथ खसरा संख्या 2079 की 05 बिस्वा भूमि भी सम्मिलित है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता डुलजी को तथा वादीया को विक्रय पत्र लिखते समय इस बात की जानकारी नहीं थी, जिससे विक्रय पत्र में खसरा संख्या 2077 की 03 बिघा 15 बिस्वा भूमि का ही अंकन किया गया, जिससे वादीया के नाम पर खसरा संख्या 2077 की 03 बिघा 15 बिस्वा भूमि ही अंकित हुई है। तथा विक्रय पत्र में खसरा संख्या 2079 की 05 बिस्वा भूमि का अंकन भूलवश रह गया था, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 ने इस 05 बिस्वा भूमि को अब प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता/पति छोगालाल के नाम पर अंकित करा दी हैं एवं उपरोक्त 05 बिस्वा भूमि खसरा संख्या 2077 की 03 बिघा 15 बिस्वा भूमि एवं आम रास्ते की भूमि के बीच में है।

4. यह कि वादीया द्वारा इस वाद पत्र की कलम न. 4 में अंकित चारों पडौसों बीच की जो कुलिया भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मूल पुरूष डालुजी से खरीद कर कब्जा लिया गया है, उसमें खसरा संख्या 2077 क्षैत्र 07 बिघा 10 बिस्वा में से 1/2 हिस्से यानि 03 बिघा 15 बिस्वा भूमि के साथ–साथ खसरा संख्या 2079 क्षै. 15 बिस्वा में से 05 बिस्वा भूमि जो कि पाल के रूप में है, वह भी मिली हुई है एवं विक्रय पत्र लिखते समय इस बात की जानकारी नहीं होने से खसरा संख्या 2079 की [illegible] भूमि का अंकन विक्रय पत्र में होना रह गया। नवीन बंदोबस्त के बाद [illegible] संख्या 1471, 1472, 1473 कुल खसरे 03 क्षै. 0.8100 है. के रूप में (गत [illegible] [illegible] क्षै. 03 बिघा 15 बिस्वा) वादीया के नाम पर राजस्व अभिलेख में [illegible] हो गई एवं वादीया के हक, हिस्से, अधिकार एवं आधिपत्य की गत [illegible] 05 बिस्वा भूमि वादीया के नाम पर दर्ज होना रह गई, जिसका पता [illegible] वाद की प्रस्तुति से पूर्व ही हुआ है। अतः वादी द्वारा परिशिष्ट (ख) में अंकित खसरा संख्या 4321 रकबा 0.0500 है. का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Banediya
Date: 2025.07.29 16:24:59 IST
Reason: SelfAttested

5 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4, 5 के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 4, 5 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से दिनांक 27.03.2025 को आंशिक डिक्री जारी की गई। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में वाद पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा पेश किया जो प्रदर्श–1, रामझौता प्रार्थना पत्र प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 प्रदर्श–3, विक्रय पत्र प्रदर्श–4 जिसकी प्रति प्रदर्श–4A, मिलान खसरा प्रदर्श–5 एवं प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी संवत् 2078 से 2081 प्रदर्श–7, प्रदर्श–8 व प्रदर्श–9, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–10 एवं प्रदर्श–11 कराये गये।

6 प्रकरण में बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 4, 5 अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी के कथनानुसार खसरा न. 2077 रकबा 7 बिघा 10 बिस्वा भूमि मूल पुरूष डालुजी व उनके भाई जीतुजी के खातेदारी अधिकारों की थी जिसमें उतरी तरफ का 1/2 हिस्सा यानि 3 बिघा 15 बिस्वा भूमि डालुजी के हिस्से कब्जे में तथा दक्षिणी तरफ का 1/2 हिस्सा यानि 3 बिघा 15 बिस्वा भूमि जीतुजी के हिस्से कब्जे में थी उक्त भूमि के साथ ही वादग्रस्त खसरा न. 2079 रकबा 15 बिस्वा भूमि स्थित थी जिसमें से 05 बिस्वा भूमि पारिवारिक बंटवाडे से खसरा न. 2077 में डालुजी के हिस्से कब्जे की जो 03 बिघा 15 बिस्वा भूमि थी उसमें मिली होकर एक चक थी एवं खसरा न. 2079 की यह 5 बिस्वा भूमि खसरा न. 2077 की 3 बिघा 15 बिस्वा भूमि के उत्तर दिशा की तरफ स्थित थी एवं कुलिया भूमि पर डालुजी काबिज होकर काश्त कर रहें थे। खसरा संख्या 2077 की 3 बिघा 15 बिस्वा भूमि में खसरा संख्या 2079 की 5 बिस्वा भूमि के मिली हुई होने की जानकारी वादीया को वाद प्रस्तुती के समय ही हुई है। इस कुलिया भूमि के पडौस पूर्व दिशा की तरफ डालुजी के भाई जीतूजी की खसरा संख्या 2077 क्षे. 7 बिघा 10 बिस्वा भूमि में से 3 बिघा 15 बिस्वा भूमि का, पश्चिम दिशा की तरफ छगन पुत्र लाला जाट की भूमि का, उत्तर दिशा की तरफ आम रास्ता का, दक्षिण दिशा की तरफ डालुजी के भाई जीतूजी जी का था। अधिवक्ता वादी द्वारा बताया कि उक्त चारों पडौस की भूमि को वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मूल पुरूष डालुजी से वृक्ष, वाड, डाली, पाली, निकास, पेसार, तमाम हक–हकूक एवं सुखाधिकार सहित 2,60,000/–रुपये के प्रतिफल में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसको उप पंजियक कार्यालय में विधिवत रूप से पंजीयन कराया गया। विक्रय पत्र पर प्रतिवादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5 के पिता/पति छोगालाल ने भी सहमती स्वरूप हस्ताक्षर किये। यह की वादीया को खसरा संख्या 2077 की 3 बिघा 15 बिस्वा भूमि में खसरा संख्या 2079 की 5 बिस्वा भूमि की मिले हुये होने की जानकारी नहीं होने से विक्रय पत्र लिखते समय खसरा संख्या 2077 की 3 बिघा 15 बिस्वा भूमि का ही अंकन किया गया तथा विक्रय पत्र में खसरा संख्या 2079 की 5 बिस्वा भूमि का अंकन भुलवश रह गया जिससे खसरा संख्या 2079 की 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5 के पिता छोगालाल के नाम अंकित हो गई। खसरा संख्या 2079 की 5 बिस्वा भूमि पाल के रूप में खसरा संख्या 2077 के 1/2 हिस्से यानि 3 बिघा 15 बिस्वा भूमि में मिली हुई है। वादीया द्वारा ऊपर लिखे चारों पडौसो की भूमि को क्रय किया गया था जिससे वादीया द्वारा खसरा संख्या 2079 की 5 बिस्वा भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही। नवीन सेटलमेंट के बाद खसरा संख्या 2077/2 मी. क्षैत्रफल 3 बिघा 15 बिस्वा भूमि के नवीन खसरा संख्या 1471 [illegible] 1473 रकबा 0.8100 है. के रूप में दर्ज हुये तथा खसरा संख्या 2079 की 5 [illegible] संख्या 4321 रकबा 0.0500 है. के रूप में दर्ज हुये। [illegible] वादीया [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से दिन[illegible] डिक्री जारी की गई जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम [illegible] हिस्सा वादीया के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये।

8. वादीया के कथनानुसार गत खसरा संख्या 2077, 2079 के मूल खातेदार डालुजी व जीतूजी थे तथा उक्त साबिक खसरा संख्या 2077/2 मी. के नये आराजी न. 1471, 1472,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:24:59 IST
Reason: SelfAttested

1473 बने तथा खसरा संख्या 2079 में से 5 बिस्वा भूमि के नये खसरा संख्या 4321 बने वादीया द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श–3, 5, 6, 7, 8, 9 पेश किये गये जिसमें से प्रदर्श–3 से स्पष्ट है कि साबिक खसरा संख्या 2077 और 2079 पूर्व खातेदार डालु, जीतु पिता हेमराज के नाम दर्ज रेकर्ड थे। साबिक खसरा संख्या 2077/2079 भी के नये खसरा संख्या 1471, 1472, 1473 बने जो मिलान खसरा प्रदर्श–5 से स्पष्ट है तथा साबिक खसरा संख्या 2077 में से 5 बिस्वा भूमि के नये आराजी न. 4321 बने जो मिलान खसरा संख्या प्रदर्श–6 से स्पष्ट है। खसरा संख्या 1471, 1472, 1473 वादीया के नाम दर्ज रेकर्ड है जो दस्तावेज प्रदर्श–7 से स्पष्ट है। वादग्रस्त आराजी न. 4321 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 4, 5 के पिता/पति के नाम दर्ज रेकर्ड है जो प्रदर्श–8 से स्पष्ट है जिसमें आंशिक डिक्री जारी की जा चुकी है। वादीया द्वारा अपने वाद पत्र में कथन कहा कि खसरा संख्या 2077 रकबा 7 बिघा 10 बिस्वा भूमि में से डालुजी के हिस्से कब्जे की 03 बिघा 15 बिस्वा भूमि तथा खसरा संख्या 2079 रकबा 15 बिस्वा में से डालुजी के हिस्से कब्जे की 5 बिस्वा भूमि जो मौके पर आपस में मिली होकर एक चक रूप में थी जिसके पडौस पूर्व दिशा की तरफ डालुजी के भाई जीतूजी की खसरा संख्या 2077 की शेष 3 बिघा 15 बिस्वा भूमि, पश्चिम दिशा की तरफ छगन पुत्र लाला जाट की भूमि, उत्तर दिशा की तरफ आम रास्ता, दक्षिणी दिशा की तरफ डालुजी के भाई जीतूजी की भूमि उक्त चारों पडौसों के बीच की इस भूमि के पूर्व दिशा की तरफ जो थूहर की बाड थी वह डालुजी के भाई जीतूजी की निजी थी तथा शेष तीनों दिशा की तरफ यानि उत्तर, दक्षिण, पश्चिम दिशा की तरफ जो बाड थी जो डालुजी की निजी थी। वादीया द्वारा मूल पुरुष डालुजी पिता हमेराज जी जाट द्वारा उक्त चारों पडौस के मध्य की भूमि को वृक्ष, बाड, डाली, पाली, निकास, पेसार, तमाम हक–हकुक एवं सुखाधिकार समेत 2,60,000/–रु. के प्रतिफल में दिनांक 08.08.2025 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। वादीया द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में विक्रय पत्र प्रदर्श–4 व उसकी प्रति प्रदर्श–4A पेश की जिसके अध्ययन से पाया कि डालु पिता हेमराज जी जाट निवासी खेरोदा द्वारा ग्राम खेरोदा की खसरा संख्या 2077 रकबा 7 बिघा 10 बिस्वा में से 1/2 हिस्से यानि 3 बिघा 15 बिस्वा भूमि को वादीया श्रीमती कमला बाई पत्नी सोहनलाल महाजन के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.08.2025 को विक्रय पत्र निष्पादित करवाया जिसे कार्यालय उप पंजीयक वल्लभनगर में पंजीयन करवाया। उक्त विक्रय पत्र में स्पष्ट किया है कि साबिक खसरा संख्या 2077 रकबा 7 बिघा 10 बिस्वा भूमि का 1/2 हिस्सा यानि 3 बिघा 15 बिस्वा भूमि(उत्तरी तरफ की) को वृक्ष, वाड, डाली, पाली, निकास, पेसार, तमाम हक–हकुक एवं सुखाधिकार सहित क्रेता वादीया के पक्ष में विक्रय किया गया साथ उक्त विक्रय पत्र में पडौस भी अंकित किये हूये है जिसमें पुर्व दिशा की तरफ जीतूजी की भूमि, पश्चिम में छगनी पुत्र लाला जाट की भूमि, उत्तर दिशा की तरफ आम रास्ता तथा उपरोक्त चारों पडौस के बीच की भूमि विक्रय की है। भूमि के पूर्व तरफ की थूहर की पाल जीतूजी की रहेगी बकाया तीनों तरफ की बाडे आप क्रेता की रहेगी। उक्त विक्रय पत्र में यह स्पष्ट किया है कि उत्तर दिशा का पडौस आम रास्ता अंकित किया हुआ है एवं वृक्ष, वाड, डाली, पाली, निकास, पेसार, तमाम हक–हकुक एवं सुखाधिकार सहित विक्रय किया हुआ हैं। वादीया द्वारा नजरी नक्शा प्रदर्श–1 पेश किया गया जिसमें वादग्रस्त भूमि को केसरिया रंग से दर्शाया गया। वादीया द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श–2 पेश किया गया जिससे पाया कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा आपसी राजीनामा पेश किया गया उक्त राजीनामे यह बताया कि वादग्रस्त खसरा संख्या 4321 रकबा 0.0500 है. भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कुलिया 3/4 हिस्सा राजस्व अभिलेख में वादीया के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होगा जिसकी खातेदार काश्तकार एवं आधिपत्यधारी वादीया ही है [illegible] संख्या 1 से 3 द्वारा इस बात को स्वीकार किया की वादग्रस्त खसरा संख्या [illegible] खातेदार आधिपत्यधारी वादीया ही है जिससे वादी के वाद को बल [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:24:59 IST
Reason: SelfAttested

9. अतः उपरोक्त विवेचन व [illegible] उपलब्ध दस्तावेज से यह पाया कि वादीया यह साबित करने में सफल रहे कि साबिक खसरा नं. 2077 रकबा 3 बिघा 15 बिस्वा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मूल पुरुष डालुजी [illegible] क्रय की थी उक्त भूमि में खसरा संख्या 2077 रकबा 3 बिघा 15 बिस्वा भूमि के साथ डाली पाली सहित क्रय की थी जिसमें पाली

5 बिस्वा भूमि भी सम्मिलित थी के रूप में गत खसरा संख्या 2079 रकबा 15 बिस्वा में से 5 बिस्वा भूमि भी सम्मिलित थी जिसके नये आराजी न. 4321 रकबा बने। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा भी अपने राजीनामे में वादीया के आधिपत्य को स्वीकार किया। अतः वादी का वाद स्वीकर योग्य पाया जाता है।

—::आदेश::—

परिणामस्वरूप वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में जमाबंदी सम्वत् 2078—81 की खाता संख्या नया 443 आराजी नम्बर 4321 रकबा 0.0500 भूमि में खातेदार छोगालाल पुत्र डालु जाति जाट के नाम दर्ज 1/4 हिस्से को वादीया श्रीमती कमला बाई पत्नी स्व. श्री सोहनलाल बाकड़िया जाति महाजन के नाम दर्ज किये जाने व उसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:24:59 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 139/22 (वाद)

GCMS NO: 2022/475

अनवान

1. श्रीमती कमलाबाई पत्नी स्व. श्री सोहनलाल बोकडिया जाति महाजन निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..........वादीगण

बनाम्

1. श्री लेहरीलाल पुत्र स्व. श्री डालु जाति जाट निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री भेरूलाल पुत्र स्व. श्री डालु जाति जाट निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्रीमती भूरीबाई पत्नी स्व. श्री डालु जाति जाट निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्रीमती गीता पत्नी स्व. श्री छोगालाल जाति जाट निवासी बडगांव तहसील मावली जिला उदयपुर राज.।
5. सुश्री सपना पुत्री स्व. श्री छोगालाल जाति जाट निवासी बडगांव तहसील मावली जिला उदयपुर राज.।
6. श्री राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित–1.

1. श्री मुकेश डांगी, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न. : 139/22 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:– परिणामस्वरूप वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में जमाबंदी सम्वत् 2078–81 की खाता संख्या नया 449 आराजी नम्बर 4321 रकबा 0.0500 भूमि में खातेदार छोगालाल पुत्र डालु [illegible] 1/4 हिस्से को वादीया श्रीमती कमला बाई पत्नी स्व. श्री सोहनलाल बोकडिया [illegible] के नाम दर्ज किये जाने व उसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित [illegible] आज दिनांक 03.06.2[illegible] को जारी [illegible]ई। बसब्त गेरे दस्तखत व मुहर अदालत से [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahedriya
Date: 2025.07.29 16:24:59 IST
Reason: SelfAttested